

प्रेस नोट दिनांक- 21.08.2025

थाना व जनपद चन्दौली

◆ थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चर्किंग के दौरान 01 बोलेरो वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वभ हेतु पश्चिम बंगाल ले जा रहे 03 राशि गोवंशों को बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली गोतस्करी के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक चन्दौली के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मझवार रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एक बोलेरो वाहन संख्या UP63X4819 को रोककर चेक किया गया तो वाहन से कुल 03 राशि गोवंशों को बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधीनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 318(4)BNS थाना व जिला चन्दौली में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह गोवंश हम लोग मिर्जापुर विंध्याचल से लादकर ला रहे हैं इन्हें बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा कर वहां बेचकर अच्छा लाभ मिलता है। जिससे हमारी रोजी-रोटी चलती है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 228/2025 धारा धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधीनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 318(4) बीएनएस थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.नाम इकबाल कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी नि0 ग्राम पठान टोली थाना चैनपुर जनपद भभुआ (कैमूर) बिहार उम्र 21 वर्ष

2.अनवर अंसारी पुत्र कियामुद्दीन अंसारी निवासी ग्राम मियां का पुरवा थाना चैनपुर जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1.एक बोलोरो जिसका नम्बर UP63X4819

2.03 राशि गाय

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

1.प्र०नि० संजय कुमार सिंह थाना व जनपद चन्दौली

2.उ०नि० देवेन्द्र बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जिला चन्दौली

3.उ०नि० श्री रावेन्द्र सिंह थाना व जनपद चन्दौली

4.हे०का० धीरेन्द्र यादव थाना व जनपद चन्दौली

6.का० रुपेश दुबे थाना व जनपद चन्दौली थाना चन्दौली।

थाना व जनपद चन्दौली

◆ थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 ट्रक में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 26 राशि भैंस व 2 चापड़ बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली गोतस्करी के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाये जाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर व देवेन्द्र कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में संजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक चन्दौली के नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा लीलापुर क्रासिंग के पास चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जिसका नम्बर BR24GD1917 है उसमें क्रूरता पूर्वक भैंसों को भर के उन्नाव वध हेतु ले जायेगे यदि जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना के आधार पर थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 01 ट्रक में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 26 राशि भैंस व 2 चापड़ बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/2025 धारा-11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना व जिला चन्दौली में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 227/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.रिजवान पुत्र स्व0 असलम निवासी मुरादाबाद थाना सासाराम जिला रोहताश बिहार उम्र करीब 28 वर्ष

2.आजाद पुत्र अब्दुल्ला निवासी विक्रमगंज थाना विक्रमगंज जिला रोहताश बिहार उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

1.एक ट्रक जिसका नम्बर BR24GD1917

2.26 राशि भैंस

3.02 चापड़

गिरफ्तारी टीम का विवरण –

1.प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना व जनपद चन्दौली ।

2.उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा थाना व जनपद चन्दौली ।

3.उ0नि0 रावेन्द्र सिंह थाना व जनपद चन्दौली ।

4.हे0का0 धीरेन्द्र यादव थाना व जनपद चन्दौली ।

6.का0 रुपेश दुबे थाना व जनपद चन्दौली ।